



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4 (1) कार्मिक/क-4/2024

जयपुर, दिनांक : As per E-sign

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन शृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री ओम प्रकाश जैन को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हायर सुपरटाईम वेतन शृंखला वर्ष 2024-25 में योग्यता -सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्रीमती मेघना चौधरी के नीचे एवं श्री राजेश सिंह के ऊपर जोड़ा जाता है।

श्री ओम प्रकाश जैन अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dheeraj Kumar Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.07.03 15:03:42 IST
Reason: Approved





राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4 (3) कार्मिक/क-4/2023

जयपुर, दिनांक : As per E-sign

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित रिब्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन शृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन शृंखला वर्ष 2023-24 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विवरण
1.	श्री जब्बर सिंह	चयन सूची में इनका नाम श्री वीरेन्द्र सिंह यादव के नीचे एवं श्री सुरेन्द्र सिंह यादव के ऊपर जोड़ा जाता है।

श्री कमल सिंह यादव (अजा) के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गई।

निम्नांकित अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनके प्रकरण यथावत डेफर किये जाते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जन्म दिनांक
1.	श्री श्रवण सिंह	01/07/1968
2.	श्री आकाश रंजन	22/06/1972

श्री जब्बर सिंह अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Dheeraj Kumar Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.07.03 15:03:42 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4 (3) कार्मिक / क-4 / 2024

जयपुर, दिनांक : As per E-sign

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन शृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री अनिल कुमार-॥ को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन शृंखला वर्ष 2024-25 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री हिम्मत सिंह के ऊपर जोड़ा जाता है।

श्री मुकेश बारेठ के प्रकरण में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गई।

श्री अनिल कुमार-॥ अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dheeraj Kumar Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.07.03 15:03:42 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4 (4) कार्मिक/क-4/2024

जयपुर, दिनांक : As per E-sign

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन शृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन शृंखला वर्ष 2024-25 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विवरण
1.	श्री भवानी सिंह	चयन सूची में इनका नाम श्रीमती सरिता के नीचे एवं श्री सचिन यादव के ऊपर जोड़ा जाता है।
2.	श्रीमती प्रतीभा डोटासरा	चयन सूची में इनका नाम श्री सुनिल शर्मा-। के ऊपर जोड़ा जाता है।

श्री प्रभजोत सिंह गिल का सेवा अभिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण इनका प्रकरण डेफर किया जाता है।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Dheeraj Kumar Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.07.03 15:03:42 IST
Reason: Approved



**राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग**

क्रमांक : प. 4 (3) कार्मिक/क-4/2023

जयपुर, दिनांक : As per E-sign

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित रिब्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन शृंखला में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

चयन वेतन शृंखला वर्ष 2023-24

श्री कालूराम खोड़ (अजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन शृंखला वर्ष 2023-24 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री रतन लाल अटल (अजा) के नीचे एवं श्री सुरेश चौधरी के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री करतार सिंह (अजा) का नाम वर्ष 2023-24 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

चयन वेतन शृंखला वर्ष 2024-25

श्री रवि वर्मा (अजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन शृंखला वर्ष 2024-25 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री त्रिलोक चन्द मीणा (अजजा) के नीचे एवं श्रीमती संगीता मीणा (अजजा) के ऊपर जोड़ा जाता है। श्री कालूराम खोड़ (अजा) का नाम चयन वेतन शृंखला वर्ष 2024-25 की चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अति मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Dhiraj Kumar Singh
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2025.07.03 15:03:42 IST
Reason: Approved